

## कुलसचिव कार्यालय

## लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

रांदर्भ संख्या : R/352/23 / सम्बद्धता अनु. / 2023

दिनांक : १३/६/२३

卷之三

प्रबन्धक,  
महात्मा युद्ध लोक कल्याण एवं यात्रा विकारा रास्तान्  
लखीमपुर खीरी।

महोदय

कृपया रखितपोषित योजनान्तर्गत एमोए में शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, हिन्दी, रामायणशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक रथलीय निरीक्षणों परान्त प्रत्येक रथलीय निरीक्षण आख्या का सर्वर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रत्युत रथलीय निरीक्षण आख्या का सदभे ग्रहण करने का काम है। इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश दुआ है कि रववित्तपोषित योजनान्तरगत एगोए० शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र हेतु गठित निरीक्षण परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक ०८.०६.२०२३ के विनिश्चय संख्या : २०२३/०३/१३ द्वारा एमोए० शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में सत्र (५७) २०२३-२४ से दो वर्षों हेतु अस्थायी सहयुक्तता अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :—

- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सहयुक्तता शुल्क(पाठ्यक्रम हेतु रु० एक लाख एवं अतिरिक्त विषय हेतु रु० पचास हजार + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सहित) विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद की प्रति प्रवेश की अनुमति से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में प्रदान की गयी सहयुक्तता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
  - मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षायें नहीं करायी जायेगी जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।
  - समय-समय पर उ०प्र० शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
  - प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
  - महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू०डी०आर०सी० पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक व्या में अपलोड किया जायेगा।
  - महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
  - रांथान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्माता आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवतीय  
जय मेधावी)  
कुलसंचिय  
13-6-23

दिनांक :

रांख्या :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयित-

- ## १. गार्ड काईल।

कुलसचिव